पत्रांक–भवन–12 / अभि0प्र0 (यो0)–02–विविध–24 / 2020 (भाग–2) ......

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता (उत्तर / पटना / दक्षिण),
मुख्य वास्तुविद्
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना,दिनांकः–..........

विषयः– दिनांक–10.01.2024 को सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय कक्ष में भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं मदरसों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में प्राप्त निदेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–10.01.2024 को सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संलग्न की जा रही है। बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(सुधांशु शेखर राय),
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 1679 (भ) पटना,दिनांकः........... 21/2/24

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

En-in Chif Letter-vk

पीत पत्र के बदले में।

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक–10.01.2024 को सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय कक्ष में भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं मदरसों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में उप निदेशक–1, अनुश्रवण– सह– मूल्यांकन कोषांग, भवन निर्माण विभाग के साथ भाग लिया। सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निम्न निदेश दिये गये–

1. जो भी निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे है, उन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाए।
2. 70 लाख से कम लागत की योजनाओं में परिमाण विपत्र बिक्री के प्रारंभ की तिथि तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बीच 14 दिन का समय निर्धारित किया जाए।
3. भवन के निर्माण हेतु कितने स्थल की आवश्यकता है इसका Requirement भी प्राक्कलन के साथ ही प्रशासी विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।
4. समीक्षात्मक बैठक हेतु उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में निविदा की तिथि तथा एकरारनामा की तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा के परिसर में अवस्थित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, पटना के मरम्मति हेतु प्राप्त अलग–अलग पाँच प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है इसे समेकित रूप से प्राक्कलन गठन कर उपलब्ध कराया जाए।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आवास, शिवहर का निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है स्थल पर मजदूरों की संख्या बढ़ायी जाए।
7. बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनांतर्गत मदरसा फिरदौसुल उलुम, ग्राम– फिरदौसाबाद, प्रखंड–लालगंज वैशाली में 10 अतिरिक्त वर्गकक्ष के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है। कार्य स्थल पर मजदूरों की संख्या बढ़ायी जाए तथा दिनांक– 31.05.2024 तक इसे पूर्ण किया जाए।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आवास, मधुबनी का निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन शीघ्र प्रशासी विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।
9. 90 बेडेड अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, मेहसौल, सीतामढ़ी का निर्माण कार्य हेतु स्थल अनुपयुक्त है से संबंधित जाँच प्रतिवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाए। इस भूमि को उपयुक्त बनाने हेतु क्या उपाय किया जाना है उसका सुझाव के साथ प्राक्कलन दिया जाय।
10. मुंगेर में मिनतुल्ला छात्रावास क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका क्या कारण है ? क्षतिग्रस्त होने के कारण की जाँच करायी जाय। मुख्य अभियंता (दक्षिण)/अधीक्षण अभियंता, मुंगेर निर्माण कार्य से संबंधित Feasibility Report शीघ्र समर्पित करेंगे तथा यदि निर्माण कार्य संभव है तो शीघ्र प्राक्कलन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।

11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आवास, सासाराम के निर्माण कार्य हेतु स्थल का क्षेत्रफल कम है। यदि (G+1) भवन बनाया जा सकता है तो प्रस्ताव भेजी जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई हेतु भवदीय स्तर से अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण/पटना), मुख्य वास्तुविद् एवं निदेशक (अनुश्रवण) को अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।